न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

अशोक कुमार पुत्र स्व. श्री छत्तूलाल अहिरवार , आयु 35 साल, व्यवसाय विधार्थी निवासी ग्राम खिरियामहू तहसील व जिला अशोकनगर वर्तमान पता – गणेश कालेनी विदिश रोड , अशोकनगर म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

1. रतनलाल पुत्र स्व. श्री छत्तूलाल अहिरवार निवासी वार्ड नं. 8 अशोकनगर
2. कोमल प्रसाद पुत्र स्व. श्री छत्तूलाल निवासी ग्राम खिरियामहू तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

..... अनावेदकगण

3. दीवान सिंह पुत्र स्व. श्री छत्तूलाल
4. गयाप्रसाद पुत्र स्व. श्री छत्तूलाल अहिरवार
5. मुक्तोंबाई वेवा छत्तूलाल अहिरवार समस्त निवासीगण– वार्ड नं. 8 अशोकनगर
6. सरोजबाई पुत्री छत्तूलाल पत्नी सीताराम अहिरवार निवासी श्रीराम कालेनी गुना
7. राधाबाई पुत्री छत्तूलाल पत्नी रघुनाथ अहिरवार निवासी महिला बाल विकास ऑफिस के पास कर्मचारी कालेनी , गुना
8. म.प्र. शासन वास्ते तहसीलदार अशोकनगर

..... फार्मल पक्षकार

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालिय

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3747–दो/16 जिला –अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदिके हस्ताक्षर
3.11.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्र0क0 25/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.10.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क में बताया है कि आवेदक के पिता स्व0 श्री छत्तूलाल अहिरवार ग्राम खिरिया महू तहसील व जिला अशोकनगर के स्थाई निवासी है जिसमें स्थित भूमि सर्वे कमांक 109/2 रकवा 0.439 है0 सर्वे नंबर 335/2 के रकवा 0.035 है0 सर्वे नंबर 336/2 क रकवा 0.028 है0 सर्वे नंबर 343/3 क रकवा 0.011 है0 सर्वे नंबर 533/2 रकवा 2.310 है0 कुल किता 5 रकवा 2.841 है0 भूमि आवेदक के पिता के नाम भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी कृषक के रूप में दर्ज रही उक्त भूमि को आवेदक के पिता ने जर्ये पंजीकृत वसीयतनामा कमांक 53 दिनांक 31.10.2009 को आवेदक के पक्ष में वसीयत की गई थी। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 5.11.2012 को हो जाने के बाद आवेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर में नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक के पक्ष में 29.11.14 को आदेश पारित किया गया।	

अनावेदक कमांक 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अपील के साथ धारा 5–12 का आवेदन प्रस्तुत किया। यह अपील लगभग 5 माह से विलंब से प्रस्तुत की गई है जिसको अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा कर धारा 5–12 का आवेदन स्वीकार किया गया उसे निरस्त किये जाने का निवेदन कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

3– मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयत गृहीता अशोक कुमार पुत्र छत्तूलाल अहिरवार द्वारा अपने नामांतरण दावा में मृतक के वैध वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस प्रकार अनावेदक कमांक–1 रतनलाल को पक्ष समर्थन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण में अनावेदक कमांक–1 को पक्ष समर्थन करने का अवसर मिलना चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5–12 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का आदेश दिनांक 14.10.2016 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य